हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

कार्यसूची

नवम् सत्र

बुधवार, 26 अगस्त, 2015/4 भाद्रपद,1937 (शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित:**

   (i) स्थगित
   (ii) दिन के लिए

   } पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 (विलम्ब के कारणों सहित); और

   (ii) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (विलम्ब के कारणों सहित) ।

   (2) **श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2004 की धारा 30(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(3) **श्री अनिल कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद् में पंचायत सहायकों की नियुक्ति और सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्या:पीसीएच-एचए(1)11/2010-1-9620-9750 दिनांक 11.08.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 10.08.2015 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

3. <u>सदन की समितियों के प्रतिवेदन :</u>

(1) **श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **110वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 65वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **111वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 78वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **कृषि विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का **112वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 79वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2015-16),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति का **42वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या: 4.9 व 4.10 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **43वां मूल प्रतिवेदन** जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 (वाणिज्यिक) के पैरा संख्या: 3.11 व 3.12 की समीक्षा पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2015-16), समिति के **48वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना षष्टम् कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

(4) श्री राकेश कालिया, सभापति, जन-प्रशासन समिति, (वर्ष 2015-16), समिति का **18वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 11वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **गृह विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

4. विधायी कार्य :

<u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री कौल सिंह, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उसका उपयोग करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्यांक 15)

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे ।

5. <u>नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव :</u>

श्री महेन्द्र सिंह
श्री रिखी राम कौंडल } प्रस्ताव करेंगे कि:

"प्रदेश में जंगली जानवरों व आवारा पशुओं द्वारा जान-माल एवं फसलों को हो रही क्षति से उत्पन्न स्थिति पर यह सदन विचार करे ।"

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांक: 25 अगस्त, 2015 **सचिव ।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)